

14¹¹/₂₅

वकील उमरपरा उप. / पत्रिका से संबंधित मूल
 वाप अंतिम डिडी किया जा चुका है। मूलवाप
 के अभाव में पत्रिका पत्र चलाने का कोई औचित्य
 नहीं है। अतः पत्रिका पत्र इसी तार पर अंतिम
 किया जाता है। पत्रावली में मूल शुभारंभ होकर अंत
 से अंत हो व मूल वाप के नाव संलग्न रहे।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)